अनुदान संख्या 52 - गृह मंत्रालय
GRANT No. 52–MINISTRY OF HOME AFFAIRS

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
प्रभारित-	*Charged–*			*5,00*	*2,04*	*–2,96*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*2,96*
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	906,95,00				
				906,96,00	714,94,69	–192,01,31
पूरक	Supplementary	1,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					184,23,83
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	39,39,00				
				39,40,00	24,26,74	–15,13,26
पूरक	Supplementary	1,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					12,04,65

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head					
मुख्य शीर्ष "2070'' अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Major Head "2070" Other Administrative Services					
मू.	O.	45881.00				
पू.	S.	1.00		45538.48	45363.25	–175.23
पु.	R.	–343.52				

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2250" अन्य सामाजिक सेवाएं	Major Head "2250" Other Social Services				
मू.	O.	55.00	487.00	467.35	–19.65
पु.	R.	432.00			
मुख्य शीर्ष "3454" जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	Major Head "3454" Census, Surveys and Statistics				
मू.	O.	12507.00	11575.45	11164.38	–411.07
पु.	R.	–931.55			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	24281.00	6629.92	6585.79	–44.13
पु.	R.	–17651.08			

(I) 18876.00 लाख रु. का प्रावधान चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 18826.00 लाख रु. मुख्य शीर्ष "3601" - "योजनेतर अनुदान" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) "निर्वाचन - अन्य अनुदान" -

(क) "संसद और राज्य विधानसभा चुनावों के दौरान होम गार्डों की तैनाती" - 400.00 लाख रु. विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा राज्य संसद और विधानसभा चुनावों के दौरान होम गार्डों की तैनाती के लिए प्रतिपूर्ति के दावे प्रस्तुत न किए जाने के कारण थे।

(I) Provision of Rs.18876.00 lakhs remained wholly unutilised under four heads; of these Rs.18826.00 lakhs accounted for under Major Head "3601" - "Non-Plan Grants" - under the following heads:-

(A) "Elections - Other Grants"-

(a) "Deployment of Home Guards during the Parliament and State Assembly Elections" - Rs.400.00 lakhs - due to non-submission of claims for reimbursement for deployment of Home Guards during Parliament and State Assembly Elections by various State Governments.

(ख) ''नागरिक सुरक्षा महानिदेशक - राज्यों में अग्निशमन सेवाओं का आधुनिकीकरण'' - 13426.00 लाख रु; और

(खा) ''अन्य प्रशासनिक सेवाएं - नागरिक सुरक्षा - नागरिक सुरक्षा के पुनर्गठन के लिए राज्यों को प्रतिपूर्ति'' - 5000.00 लाख रु.।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष ''2070'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :-

(का) ''विशेष जांच आयोग - अन्य आयोग'' - 573.45 लाख रु. की बचत (1813.20 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्र-राज्य संबंधों पर आयोग के आंशिक रूप से कार्य करने, न्यायमूर्ति मुखर्जी जांच आयोग को समाप्त किए जाने और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और अवैध कार्यकलाप (निवारण) अधिकरण से प्रतिपूर्ति के कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(खा) ''अग्नि से बचाव तथा नियंत्रण - राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कालेज'' - 223.21 लाख रु.की बचत (380.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के भरे न जाने, चिकित्सा उपचार के लिए कम दावे प्राप्त होने और सक्षम प्राधिकारी से मशीनरी और उपस्कर की प्रस्तावित मदों के लिए स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।

(गा) ''आप्रवास ब्यूरो - प्रवासियों को सेवाएं'' - 133.88 लाख रु.की बचत (2970.60 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मशीनरी और उपस्करों की अधिप्राप्ति संबंधी औपचारिकताओं के मूर्तरूप न लेने, अवरोहण और आरोहण कार्डों के मुद्रण पर कम व्यय होने और कई परियोजनाएं आस्थगित किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''3454'' - ''जनगणना'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :-

(का) ''जनगणना आंकड़ों का कम्प्यूटरीकरण - जनगणना आंकड़ों के संसाधन के लिए कम्प्यूटर प्रणाली'' - 172.93 लाख रु.की बचत (3057.20 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की

(b) "Directorate General of Civil Defence - Modernisation of Fire Services in States" - Rs.13426.00 lakhs; and

(B) "Other Administrative Services - Civil Defence - Reimbursement to States for revamping of Civil Defence" - Rs.5000.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to non-approval of the schemes by the competent authority.

(II) Under Major Head "2070"-savings occurred under the following heads:-

(A) "Special Commissions of Inquiry – Other Commissions" - saving of Rs.573.45 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1813.20 lakhs) was due to partial functioning of the Commission on Centre State Relations, winding up of Justice Mukherjee Commission of Inquiry and receipt of less claims for reimbursement from National Human Rights Commission and Unlawful Activities (Prevention) Tribunal.

(B) "Fire Protection and Control - National Fire Service College" – saving of Rs.223.21 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.380.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less claims for medical treatment and non-receipt of sanction for projected items of machinery and equipment from the competent authority.

(C) "Bureau of Immigration – Services to Migrants"- saving of Rs.133.88 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2970.60 lakhs) was due to non materialisation of procurement formalities of machinery and equipment, less expenditure on printing of disembarkation and embarkation cards and deferment of many projects.

(III) Under Major Head "3454"- "Census"- savings occurred under the following heads:-

(A) "Computerisation of Census Data- Computer System for Processing Census Data" - saving of Rs. 172.93 lakhs (against the sanctioned

तुलना में) जनगणना कार्य संबंधी अस्थायी पदों को समाप्त कर दिए जाने, किफायती उपाय किए जाने, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निधियों का कम उपयोग किए जाने और मशीनरी की अधिप्राप्ति न किए जाने के कारण हुई।

(खा) ''अन्य व्यय'' -

(क) ''पृथक्करण और संकलन'' - 309.99 लाख रु. की बचत (3480.80 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जनगणना के कार्य से संबंधित अस्थायी पदों को समाप्त कर दिए जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''प्रकाशन'' - 200.09 लाख रु. की बचत (400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जनगणना आंकड़ों के मुद्रण पर कम व्यय होने के कारण हुई क्योंकि अधिकांश आंकड़े इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से जारी किए जा रहे थे।

(ग) ''पंजीकरण, संवर्धन पद्धति, अनुसंधान और जनसंख्या अध्ययन'' - 198.91 लाख रु. की बचत (1738.90 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जनगणना कार्य के लिए सृजित अस्थायी पदों को समाप्त किए जाने, किफायती उपाय किए जाने और सिविल पंजीकरण कार्यों के लिए राज्य सरकारों से प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(घ) ''जनगणना में आंकडा प्रसार कार्यकलापों का आधुनिकीकरण'' - 123.31 लाख रु. की बचत (157.39 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के भरे न जाने और राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अधीन व्यय का परिसीमन किए जाने के कारण हुई।

(IV) दो शीर्षों के अंतर्गत 167.33 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 18 प्रतिशत और 78 प्रतिशत थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

provision of Rs.3057.20 lakhs) was due to abolition of temporary posts for census work, economy measures, poor utilisation of funds by the Central Public Works Department and non-procurement of machinery.

(B) "Other Expenditure"-

(a) "Abstraction and Compilation" - saving of Rs.309.99 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3480.80 lakhs) was due to abolition of temporary posts for census work and economy measures.

(b) "Publications" - saving of Rs.200.09 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.400.00 lakhs) was due to less expenditure on printing of census data as most of the data was being released through electronic media.

(c) "Registration, Promotion Method, Reseach and Population Studies" - saving of Rs.198.91 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1738.90 lakhs) was due to abolition of temporary posts created for census work, economy measures and non-receipt of proposals from State Governments for Civil Registration works.

(d) "Modernisation of Data Dissemination Activity in Census" - saving of Rs.123.31 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.157.39 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and limiting to expenditure under Fiscal Responsibility and Budget Management Act.

(IV) Under two heads savings of Rs.167.33 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 18 percent and 78 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2070'' - ''अन्य व्यय - आसूचना ब्यूरो''- 530.01 लाख रु. का अधिक व्यय (37687.40 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मंहगाई भत्ते का वेतन के साथ विलय कर दिए जाने, नगरों के उन्नयन के कारण नगर प्रतिपूर्ति भत्ते में वृद्धि होने, मंत्रालय के कर्मचारियों को रोकड़ मुआवजे की अदायगी किए जाने, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और दिल्ली विकास प्राधिकरण से नई दिल्ली और कोलकाता स्थित कार्यालय परिसरों के संबंध में प्राप्त बिलों की अदायगी किए जाने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2250'' - ''मकबरों, मंदिरों आदि का रख-रखाव - अयोध्या में अर्जित सम्पत्तियों की सुरक्षा और रख-रखाव'' - 414.36 लाख रु. का अधिक व्यय (50.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत अयोध्या में सुरक्षा स्कीम पर होने वाले व्यय को पूरा किए जाने के कारण हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''योजनेतर अनुदान'' -

(क) ''संसाधनों के बीच अंतर को समाप्त करने के लिए अनुदान - स्वापक नियंत्रण ब्यूरो'' - 156.71 लाख रु. का अधिक व्यय (130.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ राज्य सरकारों की प्रवर्तन/निवारक क्षमताओं के सुदृढ़ीकरण पर होने वाले व्यय को पूरा किए जाने के कारण हुआ।

(खा) ''अन्य प्रशासनिक सेवाएं - होम गार्ड'' - 899.71 लाख रु. का अधिक व्यय (4000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) होम गार्डों की तैनाती के लिए राज्य सरकारों से अधिक दावे प्राप्त होने के कारण हुआ।

(II) दो शीर्ष के अंतर्गत 163.38 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो प्रत्येक में 50.00 लाख से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 42 प्रतिशत और 356 प्रतिशत था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

(A) Major Head "2070" - "Other Expenditure - Intelligence Bureau" - excess of Rs.530.01 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.37687.40 lakhs) was due to merger of dearness allowance with pay, increase in city compensatory allowance on account of upgradation of cities, payment of cash compensation to Ministerial hands, payment of bills received from New Delhi Municipal Council and Delhi Development Authority for office complexes at New Delhi and Kolkata.

(B) Major Head "2250" - "Upkeep of Shrines, Temples etc. - Protection and Upkeep of acquired properties at Ayodhya" - excess of Rs.414.36 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.50.00 lakhs) was due to meeting of expenditure on security scheme at Ayodhya submitted by the State Government of Uttar Pradesh.

(C) Major Head "3601" - "Non-Plan Grants"-

(a) "Grants to cover gap in resources - Narcotics Control Bureau" - excess of Rs.156.71 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.130.00 lakhs) was due to meeting of the expenditure on strengthening the enforcement/preventive capabilities of some State Governments.

(b) "Other Administrative Services - Home Guards" - excess of Rs.899.71 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4000.00 lakhs) was due to receipt of more claims from State Governments for deployment of Home Guards.

(II) Under two heads excess of Rs.163.38 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 42 percent and 356 percent of the sanctioned provision.

3. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving– (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4059" लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	3619.00			
पू.	S.	1.00	2305.35	1997.85	–307.50
पु.	R.	–1314.65			
मुख्य शीर्ष "4216" आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4216" Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	320.00	430.00	428.89	–1.11
पु.	R.	110.00			

(I) 401.00 लाख रु. का प्रावधान (एक शीर्ष के अंतर्गत अगस्त, 2005 में प्राप्त किए गए 1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा, जिसमें से 400.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष "4059"- "सामान्य - भूमि का अर्जन - मानवाधिकार आयोग" के अंतर्गत दिल्ली शहरी कला आयोग और दिल्ली नगर निगम द्वारा ड्राइंगों को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of Rs.401.00 lakhs (including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh obtained in August, 2005 under one head) remained wholly unutilised under two heads; of these Rs.400.00 lakhs alone accounted for under Major Head "4059" – "General - Acquisition of Land - Human Rights Commission" - due to non-approval of drawings by the Delhi Urban Arts Commission and Municipal Corporation of Delhi.

(II) मुख्य शीर्ष "4059" - "सामान्य - निर्माण" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(II) Under Major Head "4059" - "General - Construction" - savings occurred under the following heads:-

(का) "राष्ट्रीय नागरिक रक्षा कालेज, नागपुर कार्यालय भवन"- 262.19 लाख रु. की बचत (294.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(A) "National Civil Defence College, Nagpur Office Buildings" - saving of Rs.262.19 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.294.00 lakhs); and

(खा) "राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कालेज, नागपुर कार्यालय भवन" - 992.56 लाख रु. की बचत (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(B) "National Fire Service College, Nagpur Office Buildings" - saving of Rs.992.56 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs)

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कार्य का निष्पादन कार्यक्रम के अनुसार न होने की वजह से केंद्रीय लोक निर्माण

Savings under the above two heads were due to less utilisation of funds by the Central

विभाग द्वारा निधियों का कम उपयोग किए जाने के कारण हुईं।

4. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "4216" - "सरकारी रिहायशी भवन - अन्य आवास - संरक्षितों के निवासों पर सुरक्षा संबंधी निर्माण कार्य" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं - 108.89 लाख रु. का अधिक व्यय (320.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मंत्रिमंडल के विस्तार की वजह से केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा अधिक निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

Public Works Department owing to non-execution of the work as per schedule.

4. The above savings were partly offset by excess under Major Head "4216" - "Government Residential Buildings - Other Housing - Security related works at the residences of protectees" - excess of Rs.108.89 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.320.00 lakhs) was due to requirement of more funds by the Central Public Works Department owing to expansion of the Cabinet.